

आदेश संख्या :- 234

॥ कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला अलवर (राजस्थान) ॥

दिनांक :- 21-04-2025

—: आदेश :-

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक न-5(15) पु.फो./कानि.भर्ती-23/3346 दिनांक 03.08.2023, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 3363 दिनांक 04.08.2023 एवं 3665 दिनांक 21.08.2023 के अनुसार कॉन्स्टेबल भर्ती-2023 के तहत जिला अलवर में कॉन्स्टेबल (सामान्य इयूटी) के 108 विज्ञापित पदों हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989(यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2023 से 30.12.2023 तक शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा एवं दिनांक 13.06.2024 से 14.06.2024 तक कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में सफल अभ्यर्थियों की गठित चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई संयुक्त वरियता सूची, संयुक्त चयन सूची एवं वर्गवार वरिष्ठता सूची के आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या 21 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा 100 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये।

पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या न-5(24)पु.फो./कानि.भर्ती-23/2023/580 दिनांक 19.02.2025 के द्वारा विभिन्न कारणों से रिक्त रहे कुल 16 पदों हेतु रियू चयन सूची तैयार कर वर्ग/लिंगवार वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने के लिए पूर्व में गठित बोर्ड को रियू कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया। रियू चयन बोर्ड की अनुशानुसार नवचयनित 16 अभ्यर्थियों का पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक 796 दिनांक 05.03.2025 की पालना में नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाने पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त 14 नवचयनित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु कॉन्स्टेबल के रूप में कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं प्रारम्भिक/व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किये जाने तथा निम्नांकित शर्तों के अधीन रिजर्व पुलिस लाईन अलवर में उपस्थिति देने की दिनांक से कॉन्स्टेबल सामान्य पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार इस जिले के रिक्त बैट नं० आवंटित किये जाते हैं। ये अभ्यर्थीगण रिजर्व पुलिस लाईन अलवर में दिनांक 28.04.2025 को अपनी उपस्थिति देंगे।

प्रशिक्षु कॉन्स्टेबल को राज्य सरकार कार्मिक विभाग (क-1) की अधिसूचना संख्या 7 (2) डीओपी/ए-11/2005 जयपुर दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग (नियम डिवीजन) के नोटिफिकेशन संख्या एफ-12 (6) एफडी (रूल्स)/05 जयपुर दिनांक 13.03.2006 एवं नोटिफिकेशन संख्या एफ-15(1) एफडी/नियम 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के प्रावधानानुसार नियम 16 Schedule-IV के अनुसार मासिक नियत पारिश्रमिक रुपये 14600/- (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह की दर पर नियत पारिश्रमिक (FIX REMUNERATION) संदत्त किया जावेगा। प्रारम्भिक एवं जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किये जाने एवं परीक्षाधीन अवधि संतोषजनक पाए जाने पर इनका स्थाईकरण कर इन्हें स्थाईकरण की दिनांक से PAY MATRIX OF STATE GOVERNMENT SERVANTS (PAY LEVEL-5) के अन्तर्गत मूल वेतन 20800/- (पे बैंड 5200-20200, ग्रेड पे-2400) मय नियमानुसार भत्ते देय होंगे। इन पर राज्य सरकार वित्त विभाग (नियम डिवीजन) के नोटिफिकेशन संख्या F-12(2)FD/RULES/2022 जयपुर दिनांक 19-05-2022 के प्रावधान के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी।

क्र. सं.	रोल नं०	अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	जाति	वर्ग	मूल निवास का पता	लिंग	उंचाई	सीने का माप		वजन (कि.ग्रा.)	चयनित वर्ग	समग्र चयन क्रमांक	आवंटित बैट नम्बर
1	1011802	SURENDRA	NANDRAM	20-07-2001	सी0से0	गुर्जर	MBC	ढाणी डडीकर, पुलिस थाना विजय मन्दिर जिला अलवर पिन 301001	पुरुष	168.7	बिना फुलाये	फुलाने पर	94.2	GEN-M-37	54	1153
2	1011164	MOHIT KUMAR	NARESH KUMAR	13-05-1995	सी0से0	यादव	OBC	कतोपुर, पुलिस थाना कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा पिन 301702	पुरुष	170.4	90.7	99.9		OBC-M-16	64	1154

21/4/25

क्र. सं.	रोल नं०	अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	जाति	वर्ग	मूल निवास का पता	लिंग	उंचाई	सीने का माप		वजन (किग्रा.)	चयनित वर्ग	समग्र चयन क्रमांक	आवंटित बैल्ट नम्बर
											बिना फुलाये	फुलाने पर				
3	1012051	DALU RAM YADAV	DINESH KUMAR YADAV	05-12-1995	सी०से०	यादव	OBC	रियाली, पुलिस थाना बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड पिन 301701	पुरुष	169.7	91.3	98.4		OBC-M-18	66	1155
4	1012604	NARESH KUMAR	DHARM PAL	20-09-1997	सी०से०	गुर्जर	MBC	कटारिया का बास, पुलिस थाना हरसौरा जिला कोटपूतली-बहरोड पिन 301402	पुरुष	176.7	89.3	97.8		MBC-M-2	70	1158
5	1012109	SUBHASH GURJAR	SEDHU RAM GURJAR	09-07-1999	सी०से०	गुर्जर	MBC	लाहा का बास, पुलिस थाना थानागाजी जिला अलवर पिन 301022	पुरुष	180.5	81.9	87.5		MBC-M-3	72	1160
6	1011941	RAM PHOOL GURJAR	RAMKALYAN GURJAR	16-06-1995	स्नातक	गुर्जर	MBC	टोडा, पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर पिन 301027	पुरुष	172.8	87.6	95.5		MBC-M-4	89	1162
7	1011352	YOGESH TANWAR	UMESH SINGH TANWAR	21-08-2000	सी०से०	राजपुत	GEN-EWS	वार्ड 24, विराटनगर, पुलिस थाना विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड पिन 303102	पुरुष	184.2	91.3	101		EWS-M-5	173	1163
8	1012130	MAYANK SHARMA	DEEPAK SHARMA	10-07-2000	स्नातक	ब्राह्मण	GEN-EWS	नारेडी, पुलिस थाना ततापुर जिला खैरथल-तिजारा पिन 301404	पुरुष	173.6	85.1	91.2		EWS-M-6	179	1164
9	1012315	SURENDRA KUMAR SHARMA	HANUMAN SAHAY SHARMA	05-04-2003	स्नातक	हरियाणा ब्राह्मण	GEN-EWS	डिगारिया, पुलिस थाना थानागाजी जिला अलवर पिन 301022	पुरुष	172.4	86.2	95.2		EWS-M-7	182	1165
10	1011699	LEELA RAM SHARMA	KAMLESH SHARMA	01-04-2002	सी०से०	ब्राह्मण	GEN-EWS	प्रेमपुरा पुलिस थाना नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड पिन 301024	पुरुष	173.1	86.5	95.2		EWS-M-8	194	1167
11	1011360	SUMAN YADAV	DHANNA LAL YADAV	01-01-1996	सी०से०	यादव	OBC	दहर टाकरडा, पुलिस थाना चौमू, जिला जयपुर पिन 303407	महिला	158.1			54.84	OBC-F-7	267	1170
12	1012498	AMIT KUMAR	AMRIT LAL	21-11-1993	सी०से०	जाटव	S.C	गोहा, पुलिस थाना रामगढ़ जिला अलवर पिन 301026	पुरुष	178	81.5	88.7		SC-M-7	305	1171
13	1012628	SANTOSH KUMAR VARMA	SHREE CHAND	10-07-1985	सी०से०	कुम्हार (प्रजापति)	OBC	खोह पुलिस थाना बहतुकला जिला अलवर पिन 301035	पुरुष	171.1	101	107		EX-OBC-02	426	1173

21/4/25

क्र. सं.	रोल नं०	अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	जाति	वर्ग	मूल निवास का पता	लिंग	उंचाई	सीने का माप	वजन (कि.ग्रा.)	चयनित वर्ग	समग्र चयन क्रमांक	आवंटित बैल्ट नम्बर
14	1012539	RINKI	ISHWAR SINGH	09-11-2002	सी0से0	मेढवाल	SC	लाडपुर पुलिस थाना कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा पिन 301702	महिला	164.4	बिना फुलाये फुलाने पर	48.9	SC-F-02	465	1174

उपरोक्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान की जा रही है :-

01-यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन होगी।
02-यदि यह अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के दौरान तथा प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद दो वर्ष के भीतर किसी भी कार्यवश पुलिस विभाग की सेवा छोड़ता है तो उसे पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों में वर्णित नियमानुसार प्राप्त पारिश्रमिक एवं प्रशिक्षण व्यय की राशि राजकोष में जमा करानी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किया हुआ है तो वे अभ्यर्थी इयूटी ज्वाइन करने से एक माह की अवधि में आवेदन के संबंध में सूचना आवश्यक रूप से इस कार्यालय में देगे अन्यथा सूचना नहीं देने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

03-इनकी नियुक्ति रिजर्व पुलिस लाईन, अलवर में उपस्थिति प्रस्तुत करने की दिनांक से मानी जाएगी।

04-समस्त चयनित उपरोक्त अभ्यर्थियों को 07 दिवस की अवधि में रिजर्व पुलिस लाईन अलवर में उपस्थित देनी आवश्यक है, उपस्थिति नहीं दिये जाने पर यह मानते हुए की आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है, जिससे आपका नाम चयन सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।

05-उपरोक्त समस्त अभ्यर्थीगण अपने साथ दैनिक उपभोग के आवश्यक साज-सामान, पहनने के कपड़े एवं मैस एडवांस राशि 2000/-रुपये (पुलिस लाईन में जमा करवाने हेतु) 2500/- रुपये (प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान में जमा करवाने हेतु) एवं कार्मिक कल्याण न्यास की सदस्यता शुल्क राशि 3000/- रुपये, सहायक केन्टीन का सदस्यता शुल्क तथा 10 पासपोर्ट साईज फोटो एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बचत खाता की पास बुक सहित रिजर्व पुलिस लाईन जिला अलवर में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दें।

06-नियुक्ति उपरान्त सेवा के दौरान कमी भी इनके विरुद्ध दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात अभ्यर्थी के 02 से अधिक संतान होने, विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नी रखने तथा ऐसा नवीन आपराधिक प्रकरण जो इस कार्यालय के संज्ञान में नहीं हो प्रकाश में आने पर इन्हें बिना नोटिस के तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

07-विवाहित होने की स्थिति में इन्हें विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08-इस नियुक्ति पर इयूटी ज्वाइन करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

09-सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या नियमानुसार की गई घोषणाओं में कोई भी तथ्य छुपाया जाना पाये जाने पर निर्धारित परीक्षाधीन अवधि में इनकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र/घोषणा पत्र गलत पाये जाने पर इनकी सेवाएँ स्वतः ही तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

10-उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास एवं शिक्षा प्रमाण पत्रों अन्य सभी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण, सत्यापन जाँच के अध्याधीन होगा। उपरोक्त सत्यापन जाँच में कोई गलत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाकर अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(संजीव नैन)

जिला पुलिस अधीक्षक,
अलवर।

क्रमांक :- न-5 ()अल-फोर्स/कानि.भर्ती/पार्ट-II/2023/1098

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01-श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर।

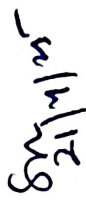
02-श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- 21-04-2025

क्र. सं.	रोल नं०	अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	जाति	वर्ग	मूल निवास का पता	लिंग	उंचाई	सीने का माप		वजन (किग्रा.)	चयनित वर्ग	समग्र चयन क्रमांक	आवृत्ति बैल्ट नम्बर
14	1012539	RINKI	ISHWAR SINGH	09-11-2002	सी0से0	मेघवाल	S.C	लाडपुर पुलिस थाना कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा पिन 301702	महिला	164.4	बिना फुलाये	फुलाने पर	48.9	SC-F-02	465	1174

उपरोक्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान की जा रही है :-

- 01-यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधिनियम 1989, राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन होगी।
- 02-यदि यह अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के दौरान तथा प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद दो वर्ष के भीतर किसी भी कार्यवश पुलिस विभाग की सेवा छोड़ता है तो उसे पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों में वर्णित नियमानुसार प्राप्त पारिश्रमिक एवं प्रशिक्षण व्यय की राशि राजकोष में जमा करानी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किया हुआ है तो वे अभ्यर्थी इयूटी ज्वॉइन करने से एक माह की अवधि में आवेदन के संबंध में सूचना आवश्यक रूप से इस कार्यालय में देगे अन्यथा सूचना नहीं देने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 03-इनकी नियुक्ति रिजर्व पुलिस लाईन, अलवर में उपस्थिति प्रस्तुत करने की दिनांक से मानी जाएगी।
- 04-समस्त चयनित उपरोक्त अभ्यर्थियों को 07 दिवस की अवधि में रिजर्व पुलिस लाईन अलवर में उपस्थित देनी आवश्यक है, उपस्थिति नहीं दिये जाने पर यह मानते हुए की आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है, जिससे आपका नाम चयन सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 05-उपरोक्त समस्त अभ्यर्थीगण अपने साथ दैनिक उपभोग के आवश्यक साज-सामान, पहनने के कपड़े एवं मैस एडवांस राशि 2000/-रुपये (पुलिस लाईन में जमा करवाने हेतु) 2500/- रुपये (प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान में जमा करवाने हेतु) एवं कार्मिक कल्याण न्यास की सदस्यता शुल्क राशि 3000/- रुपये, सहायक कैंटीन का सदस्यता शुल्क तथा 10 पासपोर्ट साइज फोटो एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बचत खाता की पास बुक सहित रिजर्व पुलिस लाईन जिला अलवर में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देवें।
- 06-नियुक्ति उपरान्त सेवा के दौरान कभी भी इनके विरुद्ध दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात अभ्यर्थी के 02 से अधिक सतान होने, विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नी रखने तथा ऐसा नवीन आपराधिक प्रकरण जो इस कार्यालय के संज्ञान में नहीं हो प्रकाश में आने पर इन्हें बिना नोटिस के तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
- 07-विवाहित होने की स्थिति में इन्हें विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 08-इस नियुक्ति पर इयूटी ज्वॉइन करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 09-सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या नियमानुसार की गई घोषणाओं में कोई भी तथ्य छुपाया जाना पाये जाने पर निर्धारित परिवीक्षाधीन अवधि में इनकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र/घोषणा पत्र गलत पाये जाने पर इनकी सेवाएँ स्वतः ही तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
- 10-उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास एवं शिक्षा प्रमाण पत्रों अन्य सभी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण, सत्यापन जाँच के अध्याधीन होगा। उपरोक्त सत्यापन जाँच में कोई गलत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाकर अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।


 (संजीव नैन)
 जिला पुलिस अधीक्षक,
 अलवर।

दिनांक :- 21-04-2025

क्रमांक :- न-5 (अल-फोर्स/कानि.मर्ती/पार्ट-II/2023/1098)
 प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 01-श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
 02-श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर।

03-श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज जयपुर।

04-पुलिस अधीक्षक, जिला-खैरथल-तिजारा/कोटपुतली-बहरोड/जयपुर ग्रामीण को भेजकर निवेदन है कि आपके क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले नव नियुक्त रिक्रूट कानि0गण को उपरोक्तानुसार रिजर्व पुलिस लाईन अलवर में अपनी उपस्थिति देने हेतु सूचित करने का श्रम करावे तथा सूचित कराने की रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाये।

05-समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, जिला अलवर।

06-सूचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन अलवर को भेजकर लेख है कि आप उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को ड्यूटी ज्वाइन करवाने के सम्बंध में सूचित कर, सूचित का प्रमाण-पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा ड्यूटी ज्वाइन करने से पूर्व-प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता, आपराधिक/दीवानी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने, गुटका/तम्बाकू/शराब इत्यादि का सेवन नहीं करने, दहेज नहीं लेने, दिनांक 31.05.2002 तक एवं दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् संतान संबंधी शपथ पत्र (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न) प्राप्त कर इस कार्यालय में भिजवावे, साथ ही प्रशिक्षण में भिजवाने से पूर्व इनका परिचय पत्र, सेवापुस्तिकाओं में अंगुलिचिन्ह/हस्ताक्षर एवं वेतन आहरण के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले सभी फॉर्म की पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें।

07-प्रभारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा, को इनके स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट की प्रति भेजकर लेख है कि लेखा शाखा एवं वेतन आहरण से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेज/फॉर्म आदि की पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें।

08-प्रभारी, गोपनीय शाखा/आदेश लिपिक/प्रशिक्षण लिपिक/निजी पत्रावली/वेतन लिपिक/कैशियर कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि नवनियुक्त रिक्रूट कानि0गण के प्रशिक्षण में जाने से पूर्व समस्त लेखा शाखा व अन्य से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करवाई जानी सुनिश्चित करें।

09-सम्बन्धित थानाधिकारीगण जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि आप से सम्बन्धित सभी अभ्यर्थियों को आज ही उपरोक्तानुसार सूचित कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

10-प्रभारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष अलवर।

11-समस्त चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर लेख है कि आप कान्स्टेबल (सामान्य) के पद पर अविलम्ब ड्यूटी ज्वाइन करें तथा ड्यूटी ज्वाइन करने के पश्चात अपना पुलिस पहचान पत्र, बैंक खाता, एम्प्लोई/एसएसओ आईडी आदि आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय की सम्बन्धित शाखा में सम्पर्क कर तैयार करावें।

6/21/04/25

जिला पुलिस अधीक्षक,
अलवर।

:: शपथ – पत्र ::

मैं..... पुत्र श्री जाति..... आयु
वर्ष निवासी ग्राम..... पोस्ट ऑफिस पुलिस-थाना
..... तहसील जिला-..... शपथ पूर्वक
बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों यथा: जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, एन0सी0सी/होमगार्ड, ड्राईविंग लाईसैन्स एवं तस्दीक रोल (चरित्र सत्यापन), मेरे द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत सूचना एवं घोषणा पत्र में अंकित तथ्यों में किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर मेरे नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावें इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। मेरे द्वारा प्राप्त कॉन्स्टेबल पद का नियुक्ति आदेश इस शर्त के अध्याधीन रहेगा।
2. मेरे खिलाफ कभी कोई आपराधिक/दीवानी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। (यदि प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे) मु0नं0 धारा पुलिस थाना/न्यायालय.....
3. मैं गुटखा, तम्बाकू, शराब इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हूँ न ही भविष्य में करूँगा।
4. मैं विवाहित हूँ अथवा अविवाहित हूँ (दोनों में से एक)। एवं मैं जब भी शादी करूँगा/करूँगी तब ना तो दहेज लूँगा/ना दूँगी।
5. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि दिनांक 31.05.2002 तक एवं दिनांक 01.06.2002 के पश्चात पैदा हुई संतानों का विवरण निम्नानुसार है जो सही एवं सत्य है:-

क.सं.	नाम	जन्मतिथि	क.सं.	नाम	जन्मतिथि
1.			2.		
3.			4.		

मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 5 में सभी तथ्यों को सही व सत्य होना सत्यापित करता/करती हूँ। कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

गवाह नाम पता

1.....

2.....

शपथकर्ता

दिनांक

// सत्यापन //

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित बयान करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं जिसका मैं साक्षी हूँ।

शपथकर्ता